न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2012/निगरानी — 3390-II/12

आशाराम पुत्र श्री रघुवर सिंह, आयु–67वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम चिरौली परगना मुआवली जिला अशोक नगर (म0प्र0)

----*आवेदक*

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगलचन्द्र जैन, आयु–70वर्ष, व्यवसाय–दुकानदारी, निवासी–ग्रम सेहराई परगना मुआवली जिला अशोक नगर (म0प्र0)

-----*असल अनावेदक*

2. तखत सिंह पुत्र श्री फरीक्षत लोधी, आयु–75 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
3. ओमकार सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह लोधी, आयु–35वर्ष, व्यवसाय– कृषि,
4. बादल सिंह पुत्र श्री हरप्रसाद लोधी, आयु–27वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
5. प्रताप सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह लोधी, आयु–50वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

समस्त निवासीगण–ग्राम चिरौली परगना मुआवली जिला अशोक नगर (म.प्र.) ---तरतीबी अनावेदकगण

श्री कृष्ण कुमार धाकड़ द्वारा आज दि. 3-10-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

SL Dubey Adv 3/10/12

(15)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/3390/दो/2012/ जिला-अशोकनगर

आशाराम विरूद्ध महेन्द्र कुमार

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/04/2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 390/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश पत्रिका में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है] किन्तु उन पर विचार किया गया है। उपरोक्त तर्को के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्क में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 5- विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी मेमो में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.04.2012 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश में सारगर्भित एवं तथ्यात्मक विष्लेषण किया जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.04.2012 के पैरा क्रमांक 4 में विस्तृत एवं तथ्यात्मक विष्लेषण करते हुए	

प्रकरण क्रमांक निग/3390/दो /2012/ जिला-अशोकनगर

आशाराम विरूद्ध महेन्द्र कुमार

यह आदेश पारित किया गया है कि "संहिता की धारा 44 (1) (ख) के अंतर्गत अ.वि.अ. के मूल आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सुनने के लिए आयुक्त न्यायालय अधिकृत नहीं है अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील में उपचार प्राप्त किए बगैर द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से बिना निर्णय के समाप्त की गयी है"। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाता हूं । संहिता की धारा 44(1)(ख) में निहित प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को होगी जिसका उपचार लाभ आवेदक द्वारा नहीं लिया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में अपर आयुकत का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.04.2012 स्थिर रखा जाता है, किन्तु आवेदक न्याय से बंचित न हो इसे ध्यान में रखते हुए नैसर्गिग न्याय के सिद्धांतो के परिपालन में अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत अपील व राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत निगरारी में व्यतीत समयावधि को प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समयावधि मान्य किया जाता है। उपरोक्त दोनो न्यायालयों में व्यतीत समयावधि को अपील प्रस्तुत करने की समयावधि में समाहित करते हुए यदि आवेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश के विरूद्ध उपरोक्तानुसार प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर न्याय की मांग कर सकता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य